

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारीको अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

मेसर्स टोरेन्ट गैस प्राइवेट लि० लखनऊ द्वारा जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत सुलतानपुर-लखनऊ मार्ग एन०एच०-731 (पुराना एन०एच०-56) के किमी० 167-168 (चैनेज 167.216) के मध्य बांयी पटरी (लखनऊ-सुलतानपुर मार्ग के दांयी पटरी) पर ग्राम चौबीसी तहसील हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी खसरा गाटा संख्या-1888 एवं 1889 में प्रस्तावित सी०एन०जी० स्टेशन के स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.221392 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/151696/2022)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-208/81-2-2022-800(231)/2022 दिनांक 15 जुलाई 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

Signed by आशीष तिवारी

Date: 15-07-2022 11:56:40

Reason: Approved

()

(आशीष तिवारी)

सचिव, नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिचालन विभाग,

उत्तर प्रदेश सरकार।